21/2014 बनवारी--छाजूराम

दिनांक	आज्ञा पत्र
13.6.2018	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत ।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलान्ट ने अदालत मातहत में दावा बाबत रेकार्ड दुरूस्ती का पेश कर निवेदन किया कि वादी एव प्रतिवादी सं0-1 से 11 एक ही परिवार के सदस्य है। जो स्व0 रूडाराम पुत्र केसाराम के उत्तराधिकारी है। रूडाराम के नाम खातेदारी आराजी पुराना ख0नं0 615,616,617,618,619 तथा 626 कुल ख0नं0-6 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा जिसके नये ख0नं0 924 925,942, से 949,951,967,968,969 तथा 968/3215 ग्राम उदयपुरवाटी में स्थित है ।रूडाराम के चार पुत्र रामेश्वर, गोपाल, छाजूराम तथा बनवारी हुये जिन्होने उक्त आराजी को चार भागों में मौके पर बांट कर काबिज काश्तकार हो गये ।जिसका कोई विवाद नहीं प्रथम सैटलमेन्ट के समय बन्दोबस्त अधिकारियों ने स्व0 रूडाराम की खातेदारी भूमि में से 0.15 ऐयर भूमि प्रतिवादी सं0-12,13, व 14 के खाते में चढा दी जिसका अलग से ख0नं0 968/3215 रकबा 0.15 हैक्टर डालकर इनके नाम चढा दी। जबकि बन्दोबस्त अधिकारियों को रूडाराम के खातेदारी की आराजी को प्रतिवादी सं0-12,13,14 के नाम चढाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है । प्रथम बन्दोबस्त के समय रूडाराम के खातेदारी मे 10 बीधा 17 बिस्वा{2 73 हैक्टर} भूमि थी ।बन्दोबस्त के बाद बनी जमाबन्दी मे यह आराजी 2 58 हैक्टर दर्ज कर दी जो पूर्व की खातेदारी से 0.15 हैक्टर भूमि कम दर्ज की गई है। इस आराजी के ख0नं0 968/3215 रकबा 0.15 हैक्टर है जो पुराने ख0नं0 626 से बना है ।रूडाराम की खातेदारी भूमि 2.78 हैक्टर के बजाय नये सैटलमेन्ट के बाद 2.58 हैक्टर रकबा दर्ज किया है जो गत के मुकाबले 0.15 हैक्टर कम है जो

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को पक्षकार नहीं बनाया । दावा खारिज कर दिया । जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है ।अदालत मातहत मे सभी प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट की तामिल विधिवत तामिल होने के बाद अदालत मातहत में अपीलान्ट ने अपना दावा साबित किया। विवादित आराजी रूडाराम की खातेदारी में रही है तथा रूडाराम के फौत होने पर उसके पुत्रों के नाम से रही है। जिसमें अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0 । से ।। रूडाराम के वारिस है ।यह स्वीकृत तथ्य है । रूडाराम की खातेदारी भूमि ख0नं0 615 से 619, 626 कुल किता-6 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा जिसके नये खसरा नं0 924, 925, 942, 943, से 949, 951, 967, 968, 969 तथा 968/3215 बने । राजस्व कर्मचारियों की भूलवश ख0नं0 968/3215 रेस्पोडेन्ट सं0-12 से 15 के नाम दर्ज हो गया ।इस तथ्य को अदालत मातहत ने भी स्वीकार किया किन्तु केवल रेस्पोडेन्ट संख्या-15 का नाम दावे में दर्ज नहीं होने पर दावा खारिज कर दिया । जबकि यह दुरूस्ती दावे के निर्णय से पूर्व की जा सकती थी ।अपीलान्ट के पूर्वज रूडाराम के खातेदारी में 2.78 हैक्टर भूमि थी जिसको सैटलमेन्ट के दौरान 2.58 हैक्टर दर्ज कर दिया जो पूर्व के मुकाबले 0.15 हैक्टर भूमि कम दर्ज कर दी। ख0नं0 968/3215 भूमि अपीलान्ट अपीलान्ट के हिस्से में आना भी स्वीकार किया है ।किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या-15 का नाम दावे दर्ज करने से रह गया जिसके कारण अपीलान्ट का दावा खारिज करने में कानूनी भूल की है ।जबकि योग्य अदालत मातहत रेस्पोडेन्ट संख्या-15 को पक्षकार संयोजित करने का भी आदेश पारित कर सकती थी जो न्यायिक होता किन्तु अदालत मातहत ने न्याय न कर केवल निर्णय किया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर

दिनांक	आज्ञा पत्र	
07.11.17	अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अपीलान्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई ।बहस विद्वान अभिभाषकगण एकपक्षीय सुनी गई । बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलो--कन किया गया ।नकल जमाबन्दी सं0 2013 से 2016 में आराजी ख0नं0 615 से 619, 626 कुल किता-6 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा भूमि की खातेदारी रूडाराम पुत्र केशा के नाम दर्ज रही है। जो सम्वत 2031 तक लगातार दर्ज रही है । मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत ख0नं0 615 से 619 व 626 के हाल ख0नं0 924, 925, 942 से 949, 951, 967, 968, 969 व 968/3215 बने है । पूर्व के खसरा नम्बरों के अनुसार 626 के हाल ख0नं0 00 968/3215 रकबा 0.15 हैक्टर बने है जो अपीलान्ट के पूर्वज के नाम दर्ज रही है जबकि नये ख0नं0 968/3215 रकबा 0.15 हैक्टर की खातेदारी सैटलमेन्ट के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या-12 से 15 के नाम दर्ज की गई है । इस आराजी बिना किसी आधार के सैटलमेन्ट विभाग ने रेस्पोडेन्ट संख्या-12 से 15 के नाम दर्ज की है जबकि सैटलमेन्ट विभाग को इस प्रकार खातेदारी बदलने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है ।रेस्पोडेन्ट ने बावजूद तामिल के हाजिर होकर इसका कोई ऐतराज भी नहीं किया है ।राजस्व रेकार्ड से यह आराजी भूल वश रेस्पोडेन्ट सं0-12 से 15 के नाम दर्ज हुई है जिसको न्यायहित में दुरूस्त किया जाना विधिनुसार उचित है ।	

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य मे अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10-4-2014 को खारिज किया जाता है तथा आराजी ख0नं0 968/3215 रकबा 0.15 हैक्टर से रेस्पोडेन्ट संख्या-12 से 15 का नाम हटाया जाकर अपीलान्टस्‌ बनवारी के वारिसान्‌ के नाम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं ।

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो निर्णय सरे इजलास सुनाया गया । 13/6/18 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	